न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 51/2022 निगरानी

उनवान

शम्भू देवी पत्नि स्व. लक्ष्मणदास कामड निवासी सगरेव तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।

—निगराकार

बनाम

1. रोशनदास पुत्र धन्नादास कामड निवासी सगरेव, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।
2. ग्राम पंचायत सगरेव जरिये सरपंच/सचिव (ग्राम विकास अधिकारी), ग्राम पंचायत सगरेव पंचायत समिति रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।
3. छगु देवी पत्नि भोजाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।

—गैर निगराकारान्

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.06.2022।

1. निगराकार अधिवक्ता — नवरतन मल जोशी उपस्थित।
2. गैर निगराकार संख्या 01 व 03 — अमित कोठारी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18/02/2026

1— निगराकार अधिवक्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि— ग्राम पंचायत सगरेव ने गैर निगराकार संख्या—01 के पक्ष में जरिये मिसल सं. 88/2021—22 से पट्टा संख्या—07 दिनांक 20—06—2022 जारी किया गया उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या—02 द्वारा गैर निगराकार संख्या—01 के पक्ष में निम्नलिखित पडौसान मध्य की जायदाद का तथाकथित आवासीय भूमि का पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया, जो पडौस निम्न है :— पूर्व में श्यामदास/ रूपदास कामड़, उत्तर में गोपी/हजारी गुर्जर, पश्चिम में मुकेश/लक्ष्मणदास कामड, दक्षिण में आम रास्ता है उक्त तथाकथित पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों एवं विधि के विपरित होने से निरस्तनीय है।

2— गैर निगराकार संख्या—02 ने उक्त पडौसान मध्य स्थित जायदाद का पट्टा अकेले गैर निगराकार संख्या—01 के पक्ष में जारी कर दिया, जबकि उक्त जायदाद निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या—01 के पूर्वज धन्नादास पिता मोतीदास के समय की होकर मौरूसी (पैतृक) जायदाद है जिसमें निगराकार स्व. लक्ष्मणदास के फौत हो जाने से विरासत में उनको प्राप्त उनके हिस्से अनुसार ही हक अधिकार निहित हो चुका है तथा निगराकार एवं गैर निगराकार तथा अन्य वारिसान के मध्य उक्त जायदाद का विधिवत् विभाजन भी नहीं हुआ है, इस कारण गैर निगराकार संख्या—01 ने गैर निगराकार संख्या—02 के साथ मिलाभगती करके विधि विरूद्व तरीके से उक्त तथाकथित फर्जी पट्टा गैर निगराकार संख्या—01 के नाम पर जारी कर दिया, जो विधि विरुद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या—01 द्वारा गैर निगराकार संख्या—02 से मिलाभगती कर जो तथाकथित फर्जी पट्टा प्राप्त कर उसकी रजिस्ट्री उपपंजीयक कार्यालय, रायपुर से अपने नाम पर करवाकर गैर निगराकार संख्या—03 के नाम पर 1,25,000/— रूपये में जायदाद का विक्रय कर उसका पंजीयन करा दिया।

3— गैर निगराकार संख्या—01 द्वारा जो गैर निगराकार संख्या—02 के साथ मिलाभगती कर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तथाकथित पट्टा प्राप्त किया, उसके पंजीयन प्रमाणपत्र में रोशनदास कामड़ पिता श्री धन्नादास कामड़ आयु 45 वर्ष अंकित की गयी है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टे की धारा संख्या–01 में पूर्वोक्त आवंटी का 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा है का अंकन साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि उक्त जायदाद निगराकार एंव गैर निगराकार संख्या–01 की मौरूसी जायदाद है, जिसका अकेले पट्टा प्राप्त करने का गैर निगराकार संख्या–01 को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी गैर निगराकार संख्या–02 के साथ मिलाभगती कर जो तथाकथित पट्टा प्राप्त किया है वह मुझ निगराकार की तुलना में प्रारम्भ से ही शून्य होने से तथा कानूनन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

4– गैर निगराकार संख्या–01 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पूर्णतया अस्पष्ट एवं केवल साईक्लो स्टाईल परफॉर्म की खानापूर्ति की है। उक्त जायदाद का स्वामित्व गैर निगराकार संख्या–01 का अकेले किस तरह से है का कोई उल्लेख प्रार्थनापत्र में नहीं है व न ही कोई दस्तावेज पेश है, ग्राम पंचायत ने बिना कोई जांच–पडताल किये उक्त प्रार्थनापत्र पर विधि विरूद्ध तरीके से पत्रावली कायम कर ली। गैर निगराकार संख्या–02 ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के तहत पट्टा जारी किया गया जो स्वयं विरोधाभाषी है क्योंकि उक्त जायदाद अकेले गैर निगराकार संख्या–01 की नहीं होकर निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 की मौरूसी (पैतृक) जायदाद है। गैर निगराकार संख्या–01 ने आवेदन में अंकन अनुसार दस्तावेज भी सलंग्न नहीं किये हैं, किन्तु गैर निगराकार संख्या–02 ग्राम पंचायत ने कोई जांच पडताल किये बिना ही मात्र गैर निगराकार संख्या–01 को अनुग्रहित करने के दुराशय से उक्त तथाकथित पट्टा जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5– गैर निगराकार संख्या–02 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 से 160 में अंकित प्रावधानों एवं औपचारिकताओं की पालन किये बिना गैर निगराकार संख्या–01 को अनुग्रहित करने के दुराशय से नियमों के विपरित जाकर उक्त तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या–02 द्वारा उक्त तथाकथित पट्टा जारी करने से पूर्व कोई सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गयी एवं न ही आपत्तिपत्र सहज दृश्य स्थान पर चस्पा ही किया गया। गैर निगराकार संख्या–02 ग्राम पंचायत ने फोरी तौर कागजी खानापूर्ति कर कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना गैर निगराकार संख्या–01 को अनुग्रहित करने के दुराशय से उक्त तथाकथित पट्टा जारी किया गया जो अवैध होने से निरस्तनीय है।

6– गैर निगराकार संख्या–02 ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। गैर निगराकार संख्या–02 ग्राम पंचायत द्वारा कायम तथाकथित पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल खाली परफोर्मे में अंकन कर कागजी खानापूर्ति की गयी है, जिनसे भी उक्त तथाकथित पट्टा स्वतः संदिग्ध हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में उक्त तथाकथित पट्टा निरस्त होने योग्य है। निगराकार ने अपने ससुर धन्नादास पिता मोतीदास के नाम पर 1982 में जारी पट्टे एवं गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में जारी किये गये उक्त तथाकथित पट्टे की नकल हेतु आवेदन कराया तथा सूचना के अधिकार के तहत भी आवेदनपत्र प्रस्तुत कराया किन्तु काफी चक्कर लगवाने के उपरान्त भी गैर निगराकार संख्या–02 ग्राम पंचायत द्वारा अब तक नकलें नहीं दी गयी और गैर निगराकार संख्या–03 ने मौके पर आकर मुझ निगराकार को उक्त जायदाद की रजिस्ट्री बताने पर गैर निगराकार संख्या–01 व 02 के उक्त कृत्यों की जानकारी हुई और उपपंजीयक कार्यालय रायपुर से नकल प्राप्त कर अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत की गयी।

अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या–02 द्वारा गैर निगराकार संख्या–01 के नाम पर पत्रावली संख्या–88/21–22 निर्णय दिनांक 22/10/2021 से जारी तथा उक्त तथाकथित पट्टा संख्या–07 दिनांक 20/06/2022 को खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

7— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 17.10.2022 को पजीबद्व किया जाकर गैर निगराकारान् को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि** – गैर निगराकार संख्या–02 ने उक्त पडौसान मध्य स्थित जायदाद का पट्टा अकेले गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में जारी कर दिया, जबकि उक्त जायदाद निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या–01 के पूर्वज धन्नादास पिता मोतीदास के समय की होकर मौरूसी (पैतृक) जायदाद है जिसमें निगराकार स्व. लक्ष्मणदास के फौत हो जाने से विरासत में उनको प्राप्त उनके हिस्से अनुसार ही हक अधिकार निहित हो चुका है तथा निगराकार एवं गैर निगराकार तथा अन्य वारिसान के मध्य उक्त जायदाद का विधिवत् विभाजन भी नहीं हुआ है, इस कारण गैर निगराकार संख्या–01 ने गैर निगराकार संख्या–02 के साथ मिलाभगती करके विधि विरूद्ध तरीके से उक्त तथाकथित फर्जी पट्टा गैर निगराकार संख्या–01 के नाम पर जारी कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या–02 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 से 160 में अंकित प्रावधानों एवं औपचारिकताओं का पालन किये बिना गैर निगराकार संख्या–01 को अनुग्रहित करने के दुराशय से नियमों के विपरित जाकर उक्त तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

8— **गैर निगराकार संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। गैर निगराकार संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि** – निगराकार ने सजरे में अपने पुत्र मुकेश का जानबुझकर ज्ञानदास व नणद नरबदा का नाम कमला न्यायालय को भ्रमित करने के दुराशय से अंकित किया है, क्योंकि इन्होने भी अन्यो के साथ हस्तगत पट्टा विलेख उत्तरदाता विपक्षी के पक्ष में जारी किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की हुई है । इसके अलावा यहाँ यह लिखना भी प्रासंगिक है कि मुकेश उर्फ ज्ञानदास निगराकार का इकलौता पुत्र होकर निगराकार मुकेश उर्फ ज्ञानदास के साथ ही निवास कर रही है। हस्तगत पट्टा उत्तरदाता विपक्षी के पक्ष में नियमानुसार जारी कर पंजीकृत कराया है। जिसमें कोई किसी प्रकार से अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं बरती गई है। निगराकार ने पट्टेशुदा जायदाद को धन्नादास पिता मोतीदास के समय की हो मौरूसी होना नितान्त असत्य व निराधार दर्ज से निगराकार उक्त पट्टेशुदा जायदाद अथवा किया है निगराकार के पति लक्ष्मणदास का कोई संबंध व वास्ता नहीं है। निगराकार ने हस्तगत पट्टेशुदा जायदाद में अपना हक हिस्सा होने संबंधी कथन नितान्त असत्य च मनगढ़न्त दर्ज किये है, जो उत्तरदाता विपक्षी को स्वीकार नहीं। बल्कि वास्तविकता यह है कि पट्टेशुदा जायदाद पर उत्तरदाता विपक्षी का पुराना कब्जा होने के आधार पर ही गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उत्तरदाता विपक्षी के हक में पुराने गृहों के विनियमितीकरण के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया। इतना ही नहीं पट्टा जारी करने उपरान्त पट्टे का पंजीयन भी उत्तरदाता विपक्षी के पक्ष में कराया है। जिससे भी निगराकार को उत्तरदाता विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टे की जानकारी सदैव से रही है। फिर भी यह निगरानी प्रस्तुत करना ही निगराकार की उत्तरदाता विपक्षी से दुर्भावना व वैमनस्यता को स्पष्ट जाहिर करता है और इसी दुराशय से हस्तगत निगरानी पेश की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारीज योग्य है।

9— गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा नियमानुसार पट्टा विलेख जारी कर पंजीयन करवाया गया है। तदुपरान्त उत्तरदाता विपक्षी को अपनी व अपने परिवार की जायज जरूरियात के लिये रकम की आवश्यकता होने से उक्त पट्टेशुद्वा जायदाद को गैर निगराकार संख्या 03 को सप्रतिफल बिकाव कर रजिस्ट्री करवाई है। जिसकी जानकारी सदैव से निगराकार को होते हुये भी निगराकार ने हस्तगत निगरानी मिथ्या व निराधार आधारों पर प्रस्तुत की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारीज योग्य है। हस्तगत जायदाद का पट्टा विलेख उत्तरदाता विपक्षी के पक्ष में नियमानुसार सही जाहिर किया है। उत्तरदाता विपक्षी जायदाद जो तन्हा उत्तरदाता विपक्षी के स्वामित्व की हो पुरानी निर्मितशुद्वा है, के बाबत् पट्टा विलेख जारी करने हेतु उत्तरदाता विपक्षी द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 को किये गये आवेदन पर गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पट्टा विलेख जारी किया है, जिसे निगराकार कोई

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किसी प्रकार से निरस्त कराने की कानुनन अधिकारीणी नहीं है। इसके अलावा निगराकार ने हस्तगत जायदाद को मौरूसी होना हस्तगत निगरानी में अंकित किया है, लेकिन हस्तगत पट्टेशुदा जायदाद मौरूसी हो, के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न कर मनगढ़न्त आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारीज योग्य है।

10— निगराकार ने पट्टे के संबंध में कायम की हुई पत्रावली का सही ढंग से अवलोकन न करना अंकित कथनों से स्पष्ट जाहिर होता है क्योंकि गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा उत्तरदाता विपक्षी के पक्ष में पट्टा जारी करते समय पुर्ण रूपेण नियमों की पालना करते हुये हस्तगत पट्टा जारी किया हुआ है। जिसे निगराकार कोई किसी प्रकार से निरस्त कराने की कानुनन अधिकारीणी नहीं है। हस्तगत पट्टेशुद्वा जायदाद बाबत् पूर्व में कोई पट्टा विलेख धन्नादास पिता मोतीदास में पक्ष में जारी किया हुआ नहीं है। इस संबंध में नकलें मिलना संभव नहीं है। शेष कथन उत्तरदाता विपक्षी को जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं अलबत्ता निगराकार को हस्तगत पट्टा विलेख व गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में करवाई हुई रजिस्ट्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी व है। फिर भी निगराकार ने गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त कराने संबंधी कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय में आज दिन तक अमल में नहीं लाना ही इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि पट्टेशुदा जायदाद में निगराकार का कोई हक–स्वत्व नहीं है और मात्र उत्तरदाता विपक्षी व क्रेता गैर निगराकार संख्या 03 को हैरान परेशान करने की गरज से हस्तगत निगरानी पेश की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारीज के है।

11— हस्तगत जायदाद का पट्टा विलेख उत्तरदाता विपक्षी द्वारा किये गये आवेदन पर गैर निगराकार संख्या 02 ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आपत्तियाँ आमन्त्रित कर मौके कब्जे की सम्पुर्ण जाँच–पड़ताल करने उपरान्त जारी कर पंजीयन करवाया है, जिसे निगराकार कोई किसी प्रकार से निरस्त कराने की कानुनन अधिकारिणी नहीं है। ऐसी हालत में भी निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारीज योग्य है। हस्तगत पट्टेशुद्वा जायदाद से सटमा पश्चिम दिशा में निगराकार की जायदाद स्थित है, जिसका उल्लेख हस्तगत पट्टे में अंकित करते हुये पश्चिम दिशा का पड़ौस मुकेश पुत्र लक्ष्मणदास का दर्शाया हुआ है। मुकेश को निगरानी में निगराकार ने चतुराई व बईमानीपुर्वक आशय से न्यायालय को भ्रमित करने की गरज से निगरानी की कलम संख्या 01 में ज्ञानदास दर्शाया है। जबकि वास्तविकता में मुकेश ही ज्ञानदास है और इसी प्रकार सजरे में दर्शित कमला का नाम नर्बदा भी है। निगराकार के पति लक्ष्मणदास के जीवनकाल में ही लक्ष्मणदास व उत्तरदाता विपक्षी अपने–अपने हक हिस्सेनुसार आने वाली जायदादों पर मकानात् बना रहवास करते चले आ रहे हैं। जिस अनुसार उत्तरदाता विपक्षी ने अपने हिस्से की जायदाद का हस्तगत पट्टा विलेख नियमानुसार गैर निगराकार संख्या 02 के यहाँ आवेदन कर जारी करवाया है तथा लक्ष्मणदास के हिस्से की जायदाद में लक्ष्मणदास के देहान्त बाद निगराकार व निगराकार का पुत्र ज्ञानदास उर्फ मुकेश निवास कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। निगराकार के पुत्र ज्ञानदास उर्फ मुकेश ने अपनी भुआ–काका के साथ उक्त पट्टा विलेख जारी करने में सहमति प्रदत्त की है। इस कारण ज्ञानदास उर्फ मुकेश ने हस्तगत निगरानी अपनी माता शम्भु देवी निगराकार से दुर्भावनापुर्वक प्रस्तुत करवाई है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारीज के है। गैर निगराकार संख्या 03 हस्तगत पट्टेशुदा जायदाद की सद्भाविक क्रेता है। जिसने पट्टेशुद्वा जायदाद पर वर्षों से विक्रेता रोशनदास का कब्जा दखल देखकर ही जायज प्रतिफल अदा कर उक्त पट्टेशुदा जायदाद जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद की है। ऐसी हालत में जब तक निगराकार सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड दस्तावेजों को निरस्त न करा दे तब तक हस्तगत निगरानी में कोई राहत पाने की अधिकारिणी नहीं है।

अतः निगरानी निगराकार की कानुनन पोषणीय न होने से सव्यय खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

12— **विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायपुर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया गया कि**— 1— आवेदक श्री रोशन दास द्वारा 50 वर्ष से अधिक घर पर कब्जा होना ग्राम

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

पंचायत सगरेव को अवगत करवाते हुए पुराने गृह का विनियमितीकरण कर नियम 157 के तहत पट्टा जारी करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 20.10.2021 को रसीद बुक नम्बर 03 में रसीद संख्या 28 पर 120/– रूपये शुल्क अदा कर आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा प्रक्रिया पर कार्यवाही कर नियम 157 के तहत पुराने गृह का विनियमितीकरण के तहत पट्टा जारी किया गया।

2– पंचायतीराज अधिनियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि पुराने गृह का विनियमितीकरण के तहत पट्टा जारी करवाने हेतु 03 वार्ड पंचों की एक निरीक्षण समिति द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने की कार्यवाही करते हुए वार्ड पंच की निरीक्षण कमेटी मिसल में बनाई गई– श्री सुवा लाल गुर्जर, श्री समुन्द्र सिंह, भागु लाल वार्ड पंच ग्राम पंचायत सगरेव जिसकी मौका निरीक्षण रिपोर्ट कोरम में वार्ड पंच द्वारा प्रस्तुत की गई उसके आधार पर नक्शा एवं पडौसी दर्ज कर अंकन किया गया।

3– पंचायतीराज अधिनियम 157 के तहत जारी उक्त पट्टा खाली भूखण्ड का जारी किया गया है। जबकि पंचायतीराज अधिनियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि पुराने गृह का विनियमितीकरण अथात् भवन निर्माण की स्थिति में पट्टा जारी किया जा सकता है। जो नियम विरूद्व होकर गलत है।

4– उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया तब आपत्ति आमंत्रित कि गई परन्तु किसी प्रकार से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई एवं आवेदक द्वारा भी किसी प्रकार से अन्य वारिस होना अवगत नहीं करवाया गया है एवं आवेदक श्री रोशन दास द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाया होना प्रतीत हुआ है।

13– **उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि–** राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 157 (1) पुराने गृहो का विनियमितीकरण की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जाकर गैर निगराकार संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 03 में अंकित गया कि उक्त पट्टा खाली भूखण्ड का जारी किया गया है, जबकि पंचायतीराज अधिनियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी में भूमि पुराने गृह का विनियमितीकरण अथात् भवन निर्माण की स्थिति में पट्टा जारी किया जा सकता है। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया जो नियम विरूद्व होकर गलत है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्व पाया जाता है। इस प्रकार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएवं–

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है। ग्राम पचांयत सगरेव, पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.06.2022 खारीज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सगरेव, पंचायत समिति रायपुर को तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा